त्रीणि छेदसूत्राणी (फोल्डर नं. ००१२५१)

मुख्य टाइटल

समर्पण

प्रकाशकीय

सम्पादकीय छेदसूत्र : समीक्षात्मक विवेचन

प्रस्तावना

विषय सूची

दशाश्रुतस्कन्ध (१-१२४)

प्रथम दशा

बीस असमाधिस्थान ---------- ३

दूसरी दशा

इक्कीस शबलदोष ---------- ८

तीसरी दशा

तेतीस आशातनाएं ---------- १६

चौथी दशा

आठ प्रकार की गणि-सम्पदा ---------- २०

शिष्य के प्रति आचार्य के कर्तव्य ---------- २७

आचार्य और गण के प्रति शिष्य के कर्तव्य ---------- ३१

पांचवीं दशा

चित्तसमाधि के दस स्थान ---------- ३४

छठी दशा

ग्यारह उपासक-प्रतिमाएं ---------- ४०

सातवीं दशा

बारह भिक्षु-प्रतिमाएं ---------- ५०

प्रतिमा आराधनकाल में उपसर्ग ---------- ५०

मासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५१

प्रतिमाधारी के भिक्षाकाल ---------- ५१

प्रतिमाधारी की गोचरचर्या ---------- ५२

प्रतिमाधारी की वसतिवास-काल ---------- ५२

प्रतिमाधारी की कल्पनीय भाषाएं ---------- ५३

प्रतिमाधारी के कल्पनीय उपाश्रय ---------- ५३

प्रतिमाधारी के कल्पनीय संस्तारक ---------- ५३

प्रतिमाधारी को स्त्री-पुरुष का उपसर्ग ---------- ५३

प्रतिमाधारी को अग्नि का उपसर्ग ---------- ५४

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

प्रतिमाधारी को ठूंठा आदि निकालने का निषेध ---------- ५४

प्रतिमाधारी को प्राणी आदि निकालने का निषेध ---------- ५४

सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध ---------- ५४

सचित्त पृथ्वी के निकट निद्रा लेने का निषेध ---------- ५५

मलावरोध का निषेध ---------- ५५

सचित्त रजयुक्त शरीर से गोचरी जाने का निषेध ---------- ५५

हस्तादि धोने का निषेध ---------- ५६

दुष्ट अश्वादि का उपद्रव होने पर भयभीत होने का निषेध ---------- ५६

सर्दी और गर्मी सहन करने का विधान ---------- ५६

भिक्षुप्रतिमाओं का सम्यग् आराधन ---------- ५७

द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५७

त्रैमासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५७

चातुर्मासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५७

पंचमासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५८

षाण्मासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५८

सप्तमासिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५८

प्रथम सप्त-अहोरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५८

द्वितीय सप्त-अहोरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५९

तृतीय सप्त-अहोरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५९

अहोरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ५९

एकरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा ---------- ६०

आठवीं दशा

पर्युषणाकल्प ---------- ६७

नवमी दशा

महामोहनीय कर्म-बन्ध के तीस स्थान ---------- ७३

दसवीं दशा

भगवान् महावीर का राजगृह में आगमन ---------- ८१

श्रेणिक का दर्शनार्थ गमन ---------- ८४

साधु-साध्वियों का निदान-संकल्प ---------- ८७

निर्ग्रन्थ का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिये निदान करना ---------- ८८

निर्ग्रन्थी का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिये निदान करना ---------- ९२

निर्ग्रन्थ का स्त्रीत्व के लिये निदान करना ---------- ९४

निर्ग्रन्थी का पुरुषत्व के लिये निदान करना ---------- ९५

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी द्वारा परदेवी-परिचारणा का निदान करना ---------- ९६

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा स्वदेवी-परिचारणा का निदान करना ---------- ९९

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा सहज दिव्यभोग का निदान करना ---------- १०१
श्रमणोपासक होने के लिये निदान करना ---------- १०६
निदान रहित की मुक्ति ---------- १०८
परिशिष्ट ---------- ११३
सारांश ---------- ११७
बृहत्कल्पसूत्र (१२५-१५८)
प्रथम उद्देशक
साधु-साध्वी के प्रलंब-ग्रहण करने का विधि-निषेध ---------- १२७
ग्रामादि में साधु-साध्वी के रहने की कल्पमर्यादा ---------- १२९
ग्रामादि में साधु-साध्वी को एक साथ रहने का विधि-निषेध ---------- १३२
आपणगृह आदि में साधु-साध्वियों के रहने का विधि-निषेध ---------- १३३
बिना द्वार वाले स्थान में साधु-साध्वी के रहने का विधि-निषेध ---------- १३४
साधु-साध्वी को घटीमात्रक ग्रहण करने का विधि-निषेध ---------- १३५
चिलमिलिका (मच्छरदानी) ग्रहण करने का विधान ---------- १३६
पानी के किनारे खड़े रहने आदि का निषेध ---------- १३७
सचित्त उपाश्रय में ठहरने का निषेध ---------- १३८
सागारिक की निश्रा लेने का निषेध ---------- १३८
गृहस्थ-युक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध ---------- १३९
प्रतिबद्ध शय्या में ठहरने का विधि-निषेध ---------- १४०
प्रतिबद्ध मार्ग वाले उपाश्रय में ठहरने का विधि-निषेध ---------- १४१
स्वयं को उपशान्त करने का विधान ---------- १४१
विहार सम्बन्धी विधि-निषेध ---------- १४३
वैराज्य-विरुद्धराज्य में बारम्बार गमनागमन का निषेध ---------- १४४
गोचरी आदि में नियंत्रित वस्त्र आदि के ग्रहण करने की विधि ---------- १४६
रात्रि में आहारादि की गवेषणा का निषेध एवं अपवाद विधान ---------- १४८
रात्रि में गमनागमन का निषेध ---------- १५१
रात्रि में स्थंडिल एवं स्वाध्याय भूमि में अकेले जाने का निषेध ---------- १५१
आर्यक्षेत्र में विचरण करने का विधान ---------- १५३
प्रथम उद्देशक का सारांश ---------- १५५
द्वितीय उद्देशक
धान्ययुक्त उपाश्रय में रहने के विधि-निषेध ---------- १५८
सुरायुक्त मकान में रहने का विधि-निषेध व प्रायश्चित्त ---------- १६०
जलयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित ---------- १६१
अग्नि या दीपक युक्त उपाश्रय में रहने के विधि-निषेध और प्रायश्चित्त ---------- १६२
खाद्यपदार्थयुक्त मकान में रहने के विधि-निषेध और प्रायश्चित्त ---------- १६३

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

साधु-साध्वी के धर्मशाला आदि में ठहरने का विधि-निषेध -- १६४
अनेक स्वामियों वाले मकान की आज्ञा लेने के विधि-निषेध -- १६५
संसृष्ट-असंसृष्ट शय्यातर पिंडग्रहण के विधि-निषेध -- १६६
शय्यातर के घर आये या भेजे गये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध -- १६८
शय्यातर के अंशयुक्त आहार-ग्रहण का विधि-निषेध -- १६९
शय्यातर के पूज्यजनों को दिये गये आहार के ग्रहण करने का विधि-निषेध -- १७०
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के लिये कल्पनीयवस्त्र -- १७२
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के लिये कल्पनीय रजोहरण -- १७३
दूसरे उद्देशक का सारांश -- १७४

तृतीय उद्देशक

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को परस्पर उपाश्रय में खड़े रहने आदि का निषेध -- १७६
साधु-साध्वी द्वारा वस्त्र ग्रहण करने के विधि-निषेध -- १७८
साधु-साध्वी को अवग्रहानन्तक और अवग्रहपट्टक धारण करने के विधि-निषेध -- १७९
साध्वी को अपनी निश्रा से वस्त्र ग्रहण करने का निषेध -- १८०
दीक्षा के समय ग्रहण करने योग्य उपधि का विधान -- १८२
प्रथम द्वितीय समवसरण में वस्त्र ग्रहण करने का विधि-निषेध -- १८३
यथारत्नाधिक वस्त्र ग्रहण का विधान -- १८४
यथारत्नाधिक शय्या-संस्तारक ग्रहण का विधान -- १८४
यथारत्नाधिक कृतिकर्म करने का विधान -- १८५
गृहस्थ के घर में ठहरने आदि का निषेध -- १८५
गृहस्थ के घर में मर्यादित वार्ता का विधान -- १८६
गृहस्थ के घर में मर्यादित धर्मकथा का विधान -- १८७
गृहस्थ का शय्या-संस्तारक लौटाने का विधान -- १८८
शय्यातर का शय्या-संस्तारक व्यवस्थित करके लौटाने का विधान -- १८९
खोये हुए शय्या-संस्तारक के अन्वेषण का विधान -- १९०
आगन्तुक श्रमणों को पूर्वाज्ञा एवं पुनः आज्ञा का विधान -- १९१
स्वामी-रहित घर की पूर्वाज्ञा एवं पुनः आज्ञा का विधान -- १९२
पूर्वाज्ञा से मार्ग आदि में ठहरने का विधान -- १९३
सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में गोचरी जाने का विधान एवं रात रहने का प्रायश्चित्त -- १९३
अवग्रहक्षेत्र का प्रमाण -- १९४
तीसरे उद्देशक का सारांश -- १९४

चौथा उद्देशक

अनुद्घातिक प्रायश्चित्त के स्थान -- १९७
पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के स्थान -- १९९
अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के स्थान -- २००

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

वाचना देने के योग्यायोग्य के लक्षण--२०१
शिक्षा-प्राप्ति के योग्यायोग्य के लक्षण--२०३
ग्लान को मैथुनभाव का प्रायश्चित्त--२०४
प्रथम प्रहर के आहार को चतुर्थ प्रहर में रखने का निषेध--२०४
दो कोस से आगे आहार ले जाने का निषेध --२०५
अनाभोग से ग्रहण किये अनेषणीय आहार की विधि --२०६
औद्देशिक आहार के कल्प्याकल्प्य का विधान ---२०७
श्रुतग्रहण के लिये अन्य गण में जाने का विधि-निषेध--२०९
सांभोगिक-व्यवहार के लिये अन्य गण में जाने की विधि--२११
आचार्य आदि को वाचना देने के लिये अन्य गण में जाने का विधि-निषेध --------------------२१६
कलह करने वाले भिक्षु से सम्बन्धित विधि-निषेध --२२१
परिहार-कल्पस्थित भिक्षु की वैयावृत्य करने का विधान--२२२
महानदी पार करने के विधि-निषेध ---२२३
घास से ढकी हुई छत वाले उपाश्रय में रहने के विधि-निषेध ---------------------------------२२५
चौथे उद्देशक का सारांश---२२७
पांचवा उद्देशक
विकुर्वित दिव्य शरीर के स्पर्श से उत्पन्न मैथुनभाव का प्रायश्चित्त------------------------------२२९
कलहकृत आगन्तुक भिक्षु के प्रति कर्तव्य ---२३०
रात्रिभोजन के अतिचार का विवेक एवं प्रायश्चित्त विधान --२३०
उद्गाल सम्बन्धी विवेक एवं प्रायश्चित्त विधान--२३३
संसक्त आहार के खाने एवं परठने का विधान ---२३४
सचित्त जलबिन्दु मिले आहार को खाने एवं परठने का विधान----------------------------------२३५
पशु-पक्षी के स्पर्शादि से उत्पन्न मैथुनभाव के प्रायश्चित्त ---२३६
साध्वी को वस्त्र-पात्र रहित होने का निषेध---२३७
साध्वी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर आसनादि करने का निषेध--२३८
आकुंचनपट्टक के धारण करने का विधि-निषेध --२४०
अबलंबन युक्त आसन के विधि-निषेध --२४१
सविसाण पीठ आदि के विधि-निषेध---२४१
संवृत तुम्ब-पात्र के विधि-निषेध--२४२
संवृत पात्रकेसरिका के विधि-निषेध---२४२
दण्डयुक्त पादप्रोंछन के विधि-निषेध ---२४२
परस्पर मोक आदान-प्रदान के विधि-निषेध ---२४३
आहार-औषध परिवासित रखने के विधि-निषेध--२४३
परिहारिक भिक्षु का दोषसेवन एवं प्रायश्चित्त ---२४५
पुलाक-भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का विधि-निषेध ---------------------------------२४५

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

पांचवें उद्देशक का सारांश---२४६
छट्ठा उद्देशक
अकल्प्य वचनप्रयोग का निषेध --२४९
असत्य आक्षेपकर्ता को उसी प्रायश्चित्त का विधान ---२४९
साधु-साध्वी के परस्पर कण्टक आदि निकालने का विधान --------------------------------------२५१
साधु द्वारा साध्वी को अवलम्बन देने का विधान ---२५२
संयमनाशक छह स्थान--२५४
छह प्रकार की कल्पस्थिति---२५६
छट्ठे उद्देशक का सारांश ---२५७
व्यवहारसूत्र (२५९-४५८)
प्रथम उद्देशक
कपटसहित तथा कपटरहित आलोचक को प्रायश्चित्त देने की विधि-------------------------------२६१
परिहारकल्पस्थित भिक्षु का वैयावृत्य के लिए विहार ---२६९
अकेले विचरने वाले का गण में पुनरागमन---२७२
पार्श्वस्थ-विहारी आदि का गण में पुनरागमन ---२७६
संयम छोड़कर जाने वाले का गण में पुनरागमन --२८०
आलोचना करने का क्रम ---२८१
प्रथम उद्देशक का सारांश --२८६
दूसरा उद्देशक
विचरने वाले साधर्मिक के परिहारतप का विधान ---२८८
रुग्ण भिक्षुओं को गण से निकालने का निषेध ---२९०
अनवस्थाप्य और पारांचिक भिक्षु की उपस्थापना --२९४
अकृत्यसेवन का आक्षेप और उसके निर्णय की विधि --२९५
संयम त्यागने का संकल्प एवं पुनरागमन ---२९७
एकपक्षीय भिक्षु को पद देने का विधान---२९९
पारिहारिक और अपारिहारिकों के परस्पर आहार-सम्बन्धी व्यवहार ------------------------------३०३
दूसरे उद्देशक का सारांश---३०७
तीसरा उद्देशक
गण धारण करने का विधि-निषेध--३०८
उपाध्याय आदि पद देने के विधि-निषेध ---३११
अल्पदीक्षापर्याय वाले को पद देने का विधान--३२१
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को आचार्य के नेतृत्व बिना रहने का निषेध--------------------------------------३२४
अब्रह्मसेवी को पद देने के विधि-निषेध ---३२८
संयम त्यागकर जाने वाले को पद देने के विधि-निषेध ---३३१
पापजीवी बहुश्रुतों को पद देने का निषेध---३३३

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

तीसरे उद्देशक का सारांश--३३५
चौथा उद्देशक
आचार्यादि के साथ रहने वाले निर्ग्रन्थों की संख्या--३३८
अग्रणी साधु के काल करने पर शेष साधुओं का कर्तव्य --३४०
ग्लान आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश--३४३
संयम त्याग कर जाने वाले आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश------------------------------३४५
उपस्थापन के विधान---३४६
अन्य गण में गये भिक्षु का विवेक --३४८
अभिनिचारिका में जाने के विधि-निषेध ---३४९
चर्याप्रविष्ट एवं चर्यानिवृत्त भिक्षु के कर्तव्य --३५०
शैक्ष और रत्नाधिक का व्यवहार ---३५२
रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरने का विधान---३५३
चौथे उद्देशक का सारांश ---३५५
पांचवां उद्देशक
प्रवर्तिनी आदि के साथ विचरने वाली निर्ग्रन्थियों की संख्या -------------------------------------३५८
अग्रणी साध्वी के काल करने पर साध्वी का कर्तव्य--३५९
प्रवर्तिनी के द्वारा पद देने का निर्देश--३६१
आचार-प्रकल्प-विस्मृल को पद देने का विधि-निषेध ---३६३
स्थविर के लिए आचार-प्रकल्प के पुनरावर्तन करने का विधान ---------------------------------३६६
परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध---३६८
परस्पर सेवा करने का विधिध---३६९
आचार्य आदि के अति-निषेध ---३७०
सर्पदंशाचिकित्सा के विधि-निषेध---३७०
पांचवें उद्देशक का सारांश--३७२
छट्ठा उद्देशक
स्वजन-परजन-गृह में गोचरी जाने का विधि-निषध---३७४
आचार्य आदि के अतिशय---३७६
अगीतार्थों के रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित --३७९
अकेले भिक्षु के रहने का विधि-निषेध --३८०
शुक्रपुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र--३८२
अन्य गण से आये हुए को गण में सम्मिलित करने का निषेध--------------------------------३८४
छट्ठे उद्देशक का सारांश--३८६
सातवां उद्देशक
अन्य गण में आई साध्वी के रखने में परस्पर पृच्छा--३८७
सम्बन्धविच्छेद करने सम्बन्धी विधि-निषेध--३८८

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

प्रव्रजित करने आदि के विधि-निषेध -- ३९०
दूरस्थ क्षेत्र में रहे हुए गुरु आदि के निर्देश का विधि-निषेध -- ३९१
कलह उपशमन के विधि-निषेध -- ३९२
व्यातिकृष्ट काल में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिये स्वाध्याय का विधि-निषेध ------------------- ३९३
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को स्वाध्याय करने का विधि-निषेध -- ३९५
शारीरिक अस्वाध्याय होने पर स्वाध्याय का विधि-निषेध --- ३९६
निर्ग्रन्थी के लिये आचार्य-उपाध्याय की नियुक्ति की आवश्यकता ---------------------------------- ३८७
श्रमण के मृत शरीर को परठने की और उपकरणों को ग्रहण करने की विधि ---------------- ३९८
परिहरणीय शय्यातर का निर्णय -- ३९९
आज्ञा ग्रहण करने का निर्णय -- ४००
राज्य-परिवर्तन में आज्ञा ग्रहण करने का विधान --- ४०१
सातवें उद्देशक का सारांश -- ४०२
आठवां उद्देशक
शयनस्थान के ग्रहण की विधि --- ४०४
शय्या-संस्तारक के लाने की विधि -- ४०५
एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और गोचरी जाने की विधि ------------------------------------- ४०६
शय्या-संस्तार के लिये पुनः आज्ञा लेने का विधान -- ४०७
शय्या-संस्तारक ग्रहण करने की विधि -- ४०८
पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा -- ४०९
अतिरिक्त पात्र लाने का विधान --- ४११
आहार की उनोदरी का परिमाण --- ४१२
आठवें उद्देशक का सारांश -- ४१५
नवम उद्देशक
शय्यातर के पाहुणे नौकर एवं ज्ञातिजन के निमित्त से बने आहार के लेने का विधि-निषेध ४१७
शय्यातर के भागीदारी वाली विक्रयशालाओं से आहार लाने का विधि-निषेध ------------------ ४२०
सप्तसप्तिका आदि भिक्षु-प्रतिमाएं -- ४२४
मोक-प्रतिमा-विधान -- ४२५
दत्ति-प्रमाण निरूपण --- ४२७
तीन प्रकार का आहार -- ४२९
अवगृहीत आहार के प्रकार -- ४२९
नवम उद्देशक का सारांश -- ४३१
दसवां उद्देशक
दो प्रकार की चन्द्रप्रतिमाएं -- ४३३
पांच प्रकार के व्यवहार --- ४४०
विविध प्रकार से गण की वैयावृत्य करने वाले -- ४४३

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

धर्मदृढता की चौभंगियां --४४५
आचार्य एवं शिष्यों के प्रकार--४४६
स्थविर के प्रकार ---४४८
बड़ी दीक्षा देने का कालप्रमाण --४४९
बालक बालिका को बड़ी दीक्षा देने का विधि-निषेध --४५०
बालक को आचारप्रकल्प के अध्ययन कराने का निषेध ---४५०
दीक्षा पर्याय के साथ आगमों का अध्ययनक्रम --४५१
वैयावृत्य के प्रकार एवं महा निर्जरा--४५५
दसवें उद्देशक का सारांश ---४५७
उपसंहार --४५८

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org